

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2022
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 12/01/2022 19:46 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 I Day (दिन): Wednesday Date from (दिनांक से): 12/01/2022 Date To (दिनांक तक): 12/01/2022
 Time Period (समय अवधि): Pahar 4 Time From (समय से): 12:00 hrs Time To (समय तक): 12:00 hrs
 (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/01/2022 Time (समय): 19:20 hrs
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 12/01/2022 19:32 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 45 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): बहादुरगढ़,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
 District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): शंकर लाल चावला
 (b) Father's Name (पिताका नाम): राम दिता चावला
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	430, सेक्टर 9 गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	430, सैंक्टर 9 गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9718587585

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राजा राम नैयन			1. दफतर Dy Commissioner Excise, and Taxation Bahadurgarh JHAJJAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, ईन्सपेक्टर,स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, झज्जर। विषय:-अष्ट लोकसेवक पर रैड की कार्यवाही करने बारे। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं शंकर लाल चावला सुपुत्र श्री राम दाता चावला निवासी मकान संख्या 430, सैक्टर- 09 कम्पनी ईन्टरप्राइज झज्जर में G.M, Commercial/Advisor के पद पर नौकरी करता हूँ। जो सरकारी दफ्तर Dy. Commissioner Excise and Taxation, Bahadurgarh श्री राजा राम नैनन से G.S.T का सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ी, जिससे हमें सब्सिडी मिल सके। परन्तु बहुत दिनों से यह कार्य नहीं हो पाया क्योंकि हमसे इस दफ्तर की रिश्त की मांग को पूरा नहीं कर पाए। जब मैं स्वयं इनके आफिस गया तो श्री राजा राम नैनन ने पेपर पर साईन करने के लिए लैपटॉप और A.C. की मांग की, परन्तु ज्यादा महंगे होने के कारण हम नहीं देना चाहते फिर समझौते के तौर पर हमारी प्रार्थना पर गौर करते हुए श्री राजा राम नैनन ने 50,000/- रु नकद की मांग की। नकद की मांग पर मुझसे कॉमिटमेंट करवा लिया। जो आज मेरे द्वारा उक्त श्री राजा राम नैनन को रिश्त के रूप में 50,000/- दिए जाने हैं, जो हम नहीं देना चाहते। रिश्त के लेन-देन के सम्बन्ध में मेरे mobile- 9718587585 से श्री राजा राम के मोबाईल 9868725729 पर दिनांक 11.01.2022 को लगभग 4-5 बजे शाम हुई ऑडियो से सम्बन्धित 01 video record मैंने आपने स्टेशनियम के की 08 G.B. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव में डलवाकर प्रस्तुत कर दी है। उक्त श्री राजा राम के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। भवदीय निवेदक शंकर लाल चावला सुपुत्र श्री राम दाता चावला निवासी मकान संख्या 430, सैक्टर- 9, Gurgaon, 9718587585 हस्ता अंग्रेजी शंकर लाल 12/1/2022 कार्यवाही पुलिस:-आज मैं बिजेन्द्र कुमार, निरीक्षक स्वयं, ई0/उप निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह, 866/जी.आर.पी., ई.मुख्य सिपाही सतीश, 935/झज्जर, मुख्य सिपाही सोमबीर 532/दादरी सहित सरकारी गाड़ी, बोलरो, पंजीकरण संख्या HR 03Z-7224 मैं चालक मुख्य सिपाही सुनील कुमार, बैल्ट नं0 4/335 एच.ए.पी. सहित जांच क्रमांक 03/2016, झज्जर के सम्बन्ध में थाना शहर बहादुरगढ़ के पास लैपटॉप, प्रिन्टर, अनुसंधान अधिकारी की कीट ईत्यादि सहित उपस्थित हूँ कि शिकायतकर्ता शंकर लाल चावला सुपुत्र श्री राम दाता चावला निवासी मकान संख्या 430, सैक्टर- 09, गुडगांव ने मुझसे मुलाकात करके उपरोक्त शिकायत के साथ स्टेशनियम कम्पनी की 08 जी.बी. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव मुझे प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता शंकर लाल चावला द्वारा उसकी आरोपी के साथ उक्त प्रकरण में रिश्त के लेन-देन के सम्बन्ध में मोबाईल फोन पर हुई वार्तालाप से सम्बन्धित 01 विडियो रिकार्डिंग उपलब्ध होनी बताई गई है। इस शिकायत के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाने पर उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा आरोपी के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त किए जाने के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है। शिकायतकर्ता व आरोपी के मध्य इस प्रकरण में रिश्त की राशि के लेन-देन को लेकर हुई बातचीत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त स्टेशनियम कम्पनी की 08 जी.बी. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव में उपलब्ध डेटा को ट्रान्सक्रिप्शन तैयार किए जाने के लिए लैपटॉप में कॉपी करने उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पेन ड्राईव को कागज के पीले रंग के पलन्दा में डालकर, उक्त पलन्दा पर SVB(H) की मोहर लगाई जाकर इस सम्बन्ध में तैयार किए गए दस्तावेज के माध्यम से उक्त पलन्दा को साक्ष्य के रूप में पुलिस कब्जा में लिया गया है। तैयार किए गए दस्तावेज पर सम्बन्धित गवाहों द्वारा अपने-2 हस्ताक्षर किए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का अध्ययन करने पर व उक्त पेन ड्राईव में उपलब्ध विडियो को देखने/सुनने पर धाराधीन 07 अष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए ई. मुख्य सिपाही सतीश, बैल्ट नं0 935/झज्जर के माध्यम से थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त अभियोग संख्या से सूचित किया जाए। पंजीकृत किए जाने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विशेष वाहक/ई.मेल के माध्यम से सम्बन्धित ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों के पास भिजवाई जाए। मेरे बुलाने पर राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक से सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार, बैल्ट नं0 1136/रेवाड़ी, मुख्य सिपाही जगबीर सिंह, बैल्ट नं0 1114/रेवाड़ी, मुख्य सिपाही विरेन्द्र, बैल्ट नं0 895/रोहतक, सिपाही नवीन कुमार, बैल्ट नं0 2034/रोहतक, सिपाही नसीब कुमार, बैल्ट नं0 1731/झज्जर, मुख्य सिपाही नरेश कुमार, बैल्ट नं0 2057/फरिदाबाद, महिला मुख्य सिपाही सुमन, बैल्ट नं0 1974/सोनीपत, महिला मुख्य सिपाही सरला, बैल्ट नं0 88/पानीपत, सरकारी गाड़ियों बोलेरो पंजीकरण संख्याओं HR 03Z-2010 में चालक सिपाही विकास कुमार, बैल्ट नं0 5/336 एच.ए.पी व HR 03Z-7421 में चालक ई/उप निरीक्षक कुलदीप, बैल्ट नं0 653/सोनीपत सहित बहादुरगढ़ उपस्थित आए हैं। मैं स्वयं, चालक मुख्य सिपाही सुनील कुमार सहित सरकारी गाड़ी में रैड की अनुमति लेने ईत्यादि के सम्बन्ध में कार्यालय उपायुक्त, झज्जर जा रहा हूँ। स्थान:- थाना शहर बहादुरगढ़ के पास, बहादुरगढ़ समय 12 बजे दिन हस्ता अंग्रेजी बिजेन्द्र कुमार (बिजेन्द्र कुमार)/निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केंद्र, झज्जर दिनांक 12.01.2022 अज थाना- हस्ब आमद तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 नं0 1 दिनांक 12.01.2022 U/S 7 P.C.Act-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कंप्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब बहादुरगढ़ को देने के लिये व नकल मिशन पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा EHC सतीश कुमार नं0 935/झज्जर की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सुरेश कुमार की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): BIJENDER KUMAR Rank (पद): 1 (Inspector)
No. (सं.): 528RR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): श्री. अ. कुमार

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 293/RR.

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):